

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-भवन/स्था0-पी0-03-पदस्थापन-01/02(अंश-2).....26...../ पटना, दिनांक:- 14/1/2020

श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0), उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम-84 के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थित मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) का कार्यालय के स्थापना व्यय के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(सतीश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 405 (ग)

पटना, दिनांक:- 14/1/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सहायक आयुक्त, लेखा प्रशासन, वित्त विभाग, पंत भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 405 (ग)

पटना, दिनांक:- 14/1/2020

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना/लेखा प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 405 (ग)

पटना, दिनांक:- 14/1/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।